

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
अधिसूचना

अधिसूचना सं०:- 62789/4 / पटना, दिनांक :- 27/09/2026
संचिका सं०- R-504/32/2025-Section-14-RDD-RDD

श्री सोनु कुमार (अनुक्रमांक-276791), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बांकेबाजार, गया सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, ब्रह्मपुर, बक्सर के विरुद्ध राज्य निर्वाचन प्राधिकार, बिहार, पटना के बेवसाईट पर तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-निर्वाचन पदाधिकारी(स०स०), बांकेबाजार, गया द्वारा टंडवा पैक्स निर्वाचन, 2019 के क्रम में त्रुटिपूर्ण मतदाता सूची अपलोड किये जाने पर अपनी गलती स्वीकार करने के बजाय तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, तत्कालीन प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी एवं तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी पर आरोप मढ़ने, छः वर्षों तक मतदाता सूची के संबंध में प्राधिकार के द्वारा कोई आपत्ति या टिप्पणी नहीं किये जाने पर भी टिप्पणी की गई है, जो उनके कार्यों के प्रति घोर लापरवाही, कर्तव्यहीनता एवं अधिकार क्षेत्रों से बाहर प्रदर्शित होने संबंधी आरोपों पर संयुक्त सचिव, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक-1806 दिनांक-21.05.2025 द्वारा आरोप पत्र उपलब्ध कराया गया ।

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, बिहार, पटना द्वारा प्रतिवेदित आरोपों पर विभागीय ज्ञापांक-4530849 दिनांक-28.08.2025 द्वारा श्री सोनु कुमार से स्पष्टीकरण/बचाव बयान की माँग की गई । कार्यालय प्रखंड विकास पदाधिकारी, ब्रह्मपुर, बक्सर के पत्रांक-1286 दिनांक-30.10.2025 के माध्यम से श्री सोनु कुमार द्वारा स्पष्टीकरण/बचाव बयान समर्पित किया गया । बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, बिहार, पटना से प्राप्त आरोप पत्र एवं श्री कुमार के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा विभाग द्वारा की गई । समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री कुमार द्वारा अपनी गलती स्वीकार करने के बजाय तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, तत्कालीन प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी एवं तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी पर आरोप मढ़ने का प्रयास किया गया । साथ ही छः वर्षों तक मतदाता सूची के संबंध में प्राधिकार के द्वारा कोई आपत्ति या टिप्पणी नहीं किये जाने पर भी टिप्पणी की गई है ।

अतएव सम्यक विचारोपरांत श्री सोनु कुमार, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बांकेबाजार, गया सम्प्रति- प्रखंड विकास पदाधिकारी, ब्रह्मपुर, बक्सर के विरुद्ध "असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि अवरुद्ध करने का दंड" अधिरोपित किया जाता है ।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

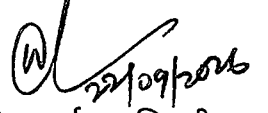
(नलिनि प्रताप राणा)

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक :- 6278 914 / पटना, दिनांक :- 25/09/2026

संचिका सं०- R-504/32/2025-Section-14-RDD-RDD

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में, सी०डी० सहित) बिहार गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

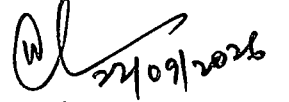


विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक:- 6278 914 / पटना, दिनांक :- 25/09/2026

संचिका सं०- R-504/32/2025-Section-14-RDD-RDD

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, गया एवं बक्सर/उप विकास आयुक्त, गया एवं बक्सर/कोषागार पदाधिकारी, गया एवं बक्सर/प्रभारी पदाधिकारी प्रशाखा-03, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/ श्री सोनु कुमार (अनुक्रमांक-276791), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बांकेबाजार, गया सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, ब्रह्मपुर, बक्सर/आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग (विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्श हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक:- 6278 914 / पटना, दिनांक :- 25/09/2026

संचिका सं०- R-504/32/2025-Section-14-RDD-RDD

प्रतिलिपि:- आप्त सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।



विशेष कार्य पदाधिकारी